

22
2018

2018/00080

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प देवीपुरा
"न्याय आपके द्वार-2018"

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवीपुरा व भूअ.नि. मोरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाहपुरा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चतुरपुरा तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 55 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चतुरपुरा	55	पहला 2420/11 1/2 पे 0 नाया, राजस्व तवा नाया, सुडा पु नाया, नाया पु नाया	पहला 2420/11 2/2 पे 0 नापुराम, नायमी देवनापुराम सुडा पु नापुराम, नाया पु नापुराम मेल इन्डाज कस्तूर जमाकरा कडुतार

(रवि पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :- 26-27

दिनांक :- 1/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राधेश्याम शर्मा चतुरपुरा को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)